कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/**UPSC/2026-27/I/1212549/2026** भोपाल, दिनांक **03-08-2026**

प्रति,

समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना अंतर्गत वर्ष **2026-27** की विज्ञप्ति का प्रचार -प्रसार करने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/UPSC/2026-27/I/1208119/2026 दिनांक **31.07.2026**

--*--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि विभाग द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र चाहे गये है। (विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है)

अत: उक्त के संबंध में आपके स्तर से जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आवेदन करने हेतु समुचित प्रचार-प्रसार किया जाकर योजना के नियमों/प्रावधानों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाये ।

संलग्न विज्ञप्ति को कार्यालयीन सूचना पटल पर भी चस्पा करायें।

Digitally signed by
Trapti Shrivastava
Date: 03-08-2026
18:04:09

अपर आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/**UPSC/2026-27I/1212549/2026** भोपाल,दिनांक **03-08-2026**

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय।
3. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि अपने कार्यालयीन सूचना पटल पर विज्ञप्ति चस्पा करें एवं योजना के प्रावधानों से जनजातीय वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को अवगत करावें।

अपर आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्र./**UPSC/2026-27/I/1208119/2026** भोपाल, दिनांक**31-07-2026**

प्रति,

आयुक्त,

जनसम्पर्क विभाग,

भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा/ मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना अंतर्गत विज्ञापन वर्ष **2026-27** के संबंध में।

--*--

विषयांतर्गत जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित योजना संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा/ मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना हेतु वर्ष **2026-27** में योजना नियमानुसार पात्र आवेदकों के आवेदन एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित किये जाने है।

कृपया संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन रोजगार निर्माण एवं प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में किये जाने का कष्ट करें ।

संलग्न:- विज्ञप्ति

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./**UPSC/2026-27/I/1208119/2026** भोपाल, दिनांक**31-07-2026**

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति
2. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग की ओर संलग्न विज्ञप्ति का चस्पा किये जाने हेतु।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

Digitally signed by
Tarun Rathi
Date: 31-07-2026
18:54:13

अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु UPSC की तैयारी के लिए नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानो से कोचिंग योजना
विज्ञप्ति वर्ष 2026-27

मध्यप्रदेश् शासन, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ **12-17/2017/25-2/534** दिनांक **27.07.2019** एवं पत्र क्रमांक एफ **12-17/2017/25-2/198** दिनांक **25.03.2025** द्वारा संचालित संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा/ मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना में निर्धारित **100** विद्यार्थी के चयन हेतु एम.पी. ऑनलाइन www.mpsos.nic.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

विद्यार्थियों का चयन म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं शहड़ोल में रखी जाएगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- आवेदन की प्रारंभिक तिथि - **04.08.2026**
- आवेदन की अंतिम तिथि - **17.08.2026**
- परीक्षा की तिथि - **23.08.2026**
- परीक्षा समय - दोपहर **2:00** बजे **4:00** बजे तक **(120** मिनिट**)**
- परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाईट **www.mponline.gov.in एवं www.mpsos.nic.in** से दिनांक **20.08.2026** के पश्चात डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमे आवंटित परीक्षा केन्द्र का उल्लेख होगा।
- परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु संपर्क -दूरभाष नंबर- **0755 2552106**

योजना नियमावली एवं विद्यार्थियों के चयन हेतु पात्रता की शर्ते जनजातीय कार्य विभाग के पोर्टल **https://www.tribal.mp.gov.in** पर संकलित है अथवा विभागीय जिला/संभागीय कार्यालयों से सम्पर्क कर विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

Digitally signed by
Tarun Rathi
Date: 31-07-2026
18:56:59

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

(28) 280 (3) 27-7. (146)

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–12–17/2017/25–2/534

भोपाल, दिनांक 27/07/2019

प्रति,

✓आयुक्त,
आदिवासी विकास
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः–संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना (योजना क्रमांक–5205)

संदर्भः–आपका ज्ञाप क्रमांक/तक.प्रशि./197/109/2019–20/12328 दिनांक 28/05/2019

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतियोगियों को कोचिंग कराये जाने की शासन द्वारा योजना, ज्ञापन क्रमांक एफ–10–51/2011/25–2 दिनांक 19/05/2011 द्वारा स्वीकृत की गई थी ।

2/ शासन ज्ञापन क्रमांक एफ–10–51/2011/25–2 दिनांक 13/09/2013, क्रमांक एफ–12–17/2017/25–2/1458 दिनांक 14/09/2017 एवं क्रमांक एफ–12–17/2017/25–2/1913 दिनांक 21/11/2017 द्वारा योजना में आंशिक संशोधन किये गये हैं । उक्त समस्त संशोधनों को अधिक्रमित करते हुए, वर्ष 2019–20 से योजना में निम्न संशोधन किये जाकर, संचालन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

UPSC
Civil Serv

1. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 100 अभ्यर्थियों को कोचिंग कराई जायेगी ।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में संघ लोक सेवा या राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पास की हो, को योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी । शेष सीटों पर स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर आर्ट/कामर्स/साईंस/इंजीनियरिंग/मेडिकल संकायवार यथा संभव समानुपात में चयनित किया जाये । किसी भी संकाय में कम आवेदन प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकायों में समान रूप से अंतरित की जा सकेगी ।
3. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
4. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6.00 लाख (रू0 छः लाख) से अधिक न हों ।
5. आवेदक की आयु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत हो ।
6. योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही लाभ प्रदान किया जायेगा ।
7. योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया आयुक्त आदिवासी विकास स्तर से की जायेगी ।

27 JUL 2019

Scanned with OKEN Scanne

8. योजना अंतर्गत अभ्यर्थी अपने विषय/विवेक अनुरूप नई दिल्ली स्थित किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले सकेगा।

9. विभाग द्वारा 1. General Studies, 2. Optional Subject (अनुसूची A), 3. CSAT., 4. Basic English विषयों/कोर्स हेतु कोचिंग शुल्क राशि रू0 2.00 लाख अधिकतम अथवा वास्तविक (जो भी कम हो) का अग्रिम भुगतान सीधे संबंधित कोचिंग संस्था को ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा।

10. अभ्यर्थी को सभी विषय/कोर्स की कोचिंग एक ही कोचिंग संस्थान से किये जाने की बाध्यता नहीं होगी अर्थात अभ्यर्थी को उसके विषय/कोर्स के अनुरूप एक से अधिक कोचिंग संस्थान से ~~कोचिंग संस्थान से~~ कोचिंग किये जाने की छूट दी जायेगी।

11. अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थानों में उक्त चारों कोर्स/विषयों की कुल फीस राशि रू0 2.00 लाख से अधिक होती है तो General Studies एवं Optional Subject की पूरी फीस का भुगतान कर, 2.00 लाख में से शेष राशि से CSAT एवं Basic English की आधी-आधी फीस का भुगतान किया जायेगा और बची फीस का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

12. General Studies एवं Optional Subject के कोर्स की फीस 2.00 लाख से अधिक होती है तो विभाग General Studies की पूरी फीस प्रदान कर, 2.00 लाख से बची राशि Optional Subject के कोर्स फीस हेतु प्रदान करेगा, और बची फीस का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जावेगा।

13. गरीबी रेखा के नीचे आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जायें, जो कि मेरिट सूची में अंतिम चयनित आवेदकों के अंकों से 20 प्रतिशत तक कम अंक हो सकते हैं।

14. अभ्यर्थियों को शिष्यवृत्ति/आवास/परिवहन शुल्क हेतु सहायता राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर अग्रिमक किया जाये, जिससे अभ्यर्थियों को आवास/वाहन/भोजन इत्यादि की असुविधा न हो सके। अभ्यर्थियों को शिष्यवृत्ति/आवास/परिवहन शुल्क हेतु सहायता राशि का भुगतान कोचिंग संस्थानों से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की कोचिंग संस्थानों से प्राप्त उपस्थिति कम पाई जाती है तो अगले त्रैमास में भुगतान की जाने वाली राशि से अनुपस्थिति अवधि की राशि का समायोजन किया जायेगा।

15. अभ्यर्थियों को शिष्यवृत्ति/आवास/परिवहन शुल्क हेतु सहायता राशि रू0 12,500/- प्रतिमाह के हिसाब से (अधिकतम 18 माह तक) का भुगतान, उपस्थिति के आधार पर ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा।

16. अभ्यर्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु सहायता राशि रू0 15,000/-एकबार/एकमुश्त ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

17. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर संबंधित से राशि की वसूली की जायेगी। अभ्यर्थी को कोचिंग के पूर्व एक अनुबंध-पत्र विभाग के साथ निष्पादित

Scanned with OKEN Scanner

करना होगा। प्रत्येक त्रैमास में अभ्यर्थियों एवं कोचिंग का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थानों में अधिकतम 18 माह तक कोचिंग किये जाने की पात्रता ~~प्रदान की जायेगी।~~ देगी ।

19. छात्रों से आवेदन प्राप्त करते समय निम्न प्रारुप में जानकारी भी ली जायेगी :-

क्र.	विषय / कार्स	कोचिंग संस्थान का नाम	कोचिंग संस्थान का पता / ई-मेल / फोन नं.	निर्धारित फीस
1	General Studies .			
2	Optional (अनुसूची A)			
3	CSAT			
4	Basic English			

3/ उपरोक्त व्यय "मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 077 शिक्षा 0102 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (सबस्कीम) 5205 अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु नीजि कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण 44 राज सहायता 001 प्रत्यक्ष राज सहायता मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 27/07/2019

पृ0 क्रमांक एफ-12-17/2017/25-2 / 535
प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
6. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग ।
7. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल की ओर विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग

(148)

Scanned with OKEN Scann

मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-17/2017/25-2/198 भोपाल, दिनांक 25/03/25

प्रति,

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश।

कार्या. आ. जनजातीय कार्य म.प्र.
शाखा
28 MAR 2025
आवक क्र. 397 दि.
आयुक्त / अपर आयुक्त

विषयः-संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा / मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना (योजना क्रमांक-5205) में आंशिक संशोधन।

--00--

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-10-51/2011/25-2 दिनांक 19.08.2011 द्वारा "अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये निजी कोचिंग योजना" स्वीकृत की गई थी। इस योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है, जिन्हें अधिक्रमित कर वर्तमान में शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 12-17/2017/25-2/534 दिनांक 27.07.2019 एवं संशोधन एफ 12-17/2017/25-2/145 दिनांक 22.02.2020 एवं एफ 12-17/2017/25-2/275 दिनांक 10.06.2020 अनुसार योजना संचालित है। योजना के बिन्दु क्रमांक 2 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:-

क्र.	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1	अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में संघ लोक सेवा या राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पास की हो, को योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात Institutes Of National Importance के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को वरीयता दी जाएगी। शेष सीटों पर स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर आर्ट्स /कॉमर्स/ साइंस/ इंजीनियरिंग /मेडिकल संकायवार यथा संभव समानुपात में चयनित किया	पात्र आवेदकों का चयन विभाग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चयन एजेंसी का निर्धारण एवं चयन परीक्षा के सम्बंध में निर्देश आयुक्त, जनजातीय कार्य द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। उक्त चयन प्रक्रिया में सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:- i. विगत तीन केलेण्डर वर्ष के भीतर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 15 सीटें आरक्षित होंगी। ii. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 सीटें आरक्षित होंगी। शेष 75 सीटों पर प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से होगा।

Received on

Scanned with OKEN Scanner

	जाए। किसी भी संकाय में कम आवेदन प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकाय में समान रूप से अंतरित की जाये।	iii. उपरोक्त आरक्षित 25 सीटों में से यदि कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो शेष रिक्त सीटें चयन परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में भरी जायेंगी। iv. यदि आरक्षित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो स्नातक डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।

शेष शर्तें दिनांक 27.07.2019 के शासन के ज्ञापन अनुसार यथावत् रहेंगी।

20/3/25

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-17/2017/25-2/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, जनजातीय कार्य विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र., ग्वालियर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
6. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग ।
7. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, 'कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग